न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 90/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री भंवर लाल साहू पुत्र श्री बद्री लाल साहू, मकान नम्बर 90, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड के पास(मुन्नी बाई वाली गली), जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 05.07.2024
5. अभिभाषकगणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20-04-2018 को घरेलू सिलेण्डरों के दुरुपयोग की जांच हेतु मकान नं 90, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड के पास पर पहुंच कर जांच की गयी। जांच में 12 घरेलू सिलेण्डर (6 एचपीसी+2 आईओसी+4 बीपीसी), 6 वाणिज्यिक सिलेण्डर(5 आईओसी+1 बीपीसी), 7 छोटे नीले आईएसआई सिलेण्डर मय कुल 214.700 किग्रा. एलपीजी, 24 पीतल की बांसुरी, एक कांटा, 3 स्टील/लोहे की बांसुरी, 1 पेचकस, एक व्यवसायिक रेग्युलेटर मय पाईप, एक स्लाइडर रिन्च, दो रॉड नोजल ठीक करने की, एक प्लास, चार प्लास्टिक सील के ढक्कन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने की स्थिति में जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को साधारण नोटिस एवं बाद में रजि. नोटिस जारी किये गये। जिसे एक माह से अधिक होने पर भी लौटकर प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण में मौके पर कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी उपस्थित था एवं की गई कार्यवाही पर फर्द हस्ताक्षर किये। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण की जानकारी होते हुए भी आज तक उक्त सामग्री के संबंध में क्लेम पेश नहीं किया ना ही उपस्थित हुआ। प्रकरण लम्बे समय से लंबित है। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी को आज भी बार‍म्बार आवाज दिलवाई गई बावजूद अनुपस्थित है। पत्रावली में एकतरफा बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 20-04-2018 को उक्त सिलेण्डरों व अन्य सामान से घरेलू गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर अवैध वाणिज्यिक, घरेलू, छोटे सिलेण्डर व गैस रिफिलिंग किए जाने वाले सामान बरामद किये हुए थे। अप्रार्थी ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा गैस एजेन्सियों से मिलीभगत करके वाणिज्यिक सिलेण्डरों व घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में रिफिलिंग की जाती है जिससे अप्रार्थी के अवैध गैस रिफिलिंग करने एवं अवैध क्रय विक्रय करने की पुष्टि होती है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं की घरेलू कनेक्शन की डायरी दिखाने पर उसके संबंधित दो घरेलू सिलेण्डरों को मौके पर छोड़ दिया व अन्य किसी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत की डायरियों को जब्त कर लिया। जब्तशुदा सामग्री के लिए अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये ना ही संतोषप्रद जवाब दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी उक्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 12 घरेलू सिलेण्डर (6 एचपीसी+2 आईओसी+4 बीपीसी), 6 वाणिज्यिक सिलेण्डर(5 आईओसी+1 बीपीसी), 7 छोटे नीले आईएसआई सिलेण्डर मय कुल 214.700 किग्रा. एलपीजी, 24 पीतल की बांसुरी, एक कांटा, 3 स्टील/लोहे की बांसुरी, 1 पेचकस, एक व्यवसायिक रेग्युलेटर मय पाईप, एक स्लाइडर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रिन्च, दो रॉड नोजल ठीक करने की, एक प्लास, चार प्लास्टिक सील के ढक्कन का राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का नियमानुसार अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जयपुर।